न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/6/2021	22-03-2021	22-09-2021

1-अनिल पुत्र चुन्नीलाल जाट निवासी निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर।

-प्रार्थी

बनाम

1-शोकला देवी उर्फ शकुन्तला पुत्री स्व0श्री चिम्मन लाल।
2-विमला देवी पुत्री स्व0चिम्मनलाल
3-निम्मोदेवी उर्फ निर्मला देवी पुत्री स्व0चिम्मनलाल
4-गोपाल दास पुत्र स्व0चिम्मनलाल
5-रोशन लाल पुत्र स्व0श्री चिम्मनलाल
6-रानी देवी उर्फ रीना देवी पुत्री स्व0चिम्मनलाल
7-अनिता देवी पुत्री स्व0चिम्मनलाल
8-अशोक कुमार पुत्र स्व0चिम्मनलाल जातियान जाट निवासीयान गाम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर।

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः-

01. श्री उमेश चंद कौशिक -वकील प्रार्थी
02. श्री दिनेश कुमार यादव -वकील अप्रार्थी

--:: निर्णय ::--

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी रामगढ के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी अनिल वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व वाद बअनुवानी अनिल वगै0 बनाम वीरा वगै0 उपखण्ड अधिकारी रामगढ में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि न्यायालय में विचाराधीन वाद में प्रतिवादीगण ने स्पष्ट ऐलानिया कहा है कि हमने दिनांक 12.2.2021 को उपखण्ड अधिकारी ने मिलकर इसी आराजी का निर्णय दूसरे दावे के जरिये करा लिया है। उसी प्रकार उपखण्ड अधिकारी से मिलकर इस दावे का भी फैसला हम अपने पक्ष में करायेगें। हमने उपखण्ड अधिकारी से बात कर ली है। जिससे मिन प्रार्थी को अंदेशा है कि पीठासीन अधिकारी इस प्रकरण में सही निर्णय नहीं करेंगे। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर बअनुवानी अनिल वगै0 बनाम वीरा वगै0 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ से किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

है को जिले के दूसरे न्यायालय में

हस्तान्तरित करने के कम मे।

वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं देते हुए सीधे ही बहस का निवेदन किया

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभय–पक्ष की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी रामगढ ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थी का यह कथन गलत है। पीठासीन अधिकारी न किसी को जानता है और न ही किसी से कोई वार्ता हुई है।

पीठासीन अधिकारी द्वारा न्याय के सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। फिर भी उक्त प्रकरण को अन्य किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पत्रावली मुन्तकिल करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया गया है तथा ना ही किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत किये है, जिससे प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी रामगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **22–09–2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रथम अलवर